रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 114] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 1969/श्रावण 3, 1891
No. 114] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 1969/SRAVANA 3, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 16th July 1969

No. LEI(A)-16(2)/68.—The Tariff Commission has submitted its Report on the price structure of catguts on the basis of an enquiry undertaken by it under Section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951. Its recommendations are as follows:—

(i) The domestic demand for catguts is of the order of 250,000 dozen for the current year (1968) going up at the rate of about 16,000 dozen annually and reaching the level of 300,000 dozen in the year 1971.

(ii) It would be desirable for the manufaturers to introduce as early as possible the irradiation method of steri'isation of catguts.

(iii) Tests regarding absorbability, tensile strength, unifomity of gauge and other similar specifications of undisputed therapeutic importance may be included in the Indian Pharmacopia.

(iv) Needled sutures may be excluded from price control for some time in order to provide a certain degree of freedom for the development of this infant branch of the industry

(v) The price recommended for plain and chromic sutures for 1969 and 1970 is Rs. 27 25 for destination per dozen tubes,

2. Government have taken note of recommendation (i) which is an observation made by the Commission and accept recommendations (ii), (iii) & (v) and suitable action will be taken to implement them to the extent practicable.

3. The recommendation (iv) was further examined in consultation with the Tariff Commission who have since expressed that they have no objection to keep control on prices of Needled sutures provided the objective underlying their recommendation for decontrol is kept in view. Government accept the Commission's recommendation of prices of different codes of Needled sutures which are indicated below and have taken note of their observation for development of this branch of industry for appropriate action.

S. No.	Codes	F.O.R. destination price per dozen Rs./Doz.
1.	*Straight & Curved Needles—'A' Pack:*	
	(a) M.400, M.404, M.405, M.407, M.408 M.409, M.410, M.412, M.413, G.102	34.41
	(b) M.416, M.417, G.113 G.114	34.41
2.	*Curved Needles—'B' Pack:*	
	(a) M.420, M.421, M.423, M.424, M.425, M.426	36.26
	(b) M.441, M.442, G.123, G.124	36.26
3.	*Half Circle Needles—'C' Pack:* M.445, M.446, M.449, M.450, 863, 864	37.84
4.	*Half Circle Needles—'A' Pack:* M.437	50.60
5.	*Half Circl Needles—'B' Pack:* M. 438	51.46
6.	*Curved and Half Circle Needles—'A' Pack:*	
	(a) M.470	56.01
	(b) M.471	56.01
7.	*Curved Needles—'A' Pack:*	
	(a) M.510	55.40
	(b) M.520	55.40

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

D. R. SUNDARAM, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1969

सं०एल०ई०आई० (ए) 16(2)/68.—प्रशुल्क आयोग ने प्रशुल्क आयोग अधिनियम 1951 की धारा 12ब के अन्तर्गत कराई गई जांच के आधार पर तांतों के मूल्य ढांचे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। इसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(i) तांतों की देशी मांग चालू वर्ष (1968) में 250,000 दर्जन के मुकाबिले लगभग 16,000 दर्जन वार्षिक तक और बढ़ गई है और जिसके 1971 तक 300,000 दर्जन तक पहुंच जाने की आशा है।

(ii) तांतों के अनुंवरीकरण की किरणीयन विधि को यथाशीघ्र व्यापक करना निर्माताओं के लिए वांछनीय होगा ।

(iii) अवशोषणीयता, तनाव क्षमता, मापक एकरूपता सम्बन्धी परीक्षण तथा इस प्रकार के अन्य चिकित्सा विषयक परीक्षणों को भारतीय भेषजीय सूची पत्र में शामिल किया जाए ।

(iv) घाव पर टांका लगाने हेतु सूचर पर से नियंत्रण कुछ समय तक के लिए हटा लिया जाना चाहिए जिससे कि इस उद्योग प्रारम्भिक अवस्था में कुछ हद तक विकसित करने मे स्वतन्त्रता दी जा सके ।

(v) 1969-70 के लिए सादे तथा क्रोमिक सूचरों के प्रति दर्जन ट्यूबों का निर्दिष्ट स्थान पर गाड़ी भाड़ा मुक्त मूल्य 27.25 रु० है ।

2. सरकार ने सिफारिश पर ध्यान दिया है (1) यह आयोग द्वारा किया गया अवलोकन है और इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है (2) (3) और (4) सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं वहां व्यावहारिक होगा उन्हें लागू करने के लिए उचित कार्यवाही की जायगी ।

3. प्रशुल्क आयोग के परामर्श से सिफारिश (4) पर फिर से विचार किया गया उस का यह कथन है कि घावों पर टांका लगाने वाले सूचरों के मूल्यों पर नियत्रण रखे जाने के बारे में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि नियंत्रण हटाने के लिए की गई उनकी सिफारिश के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए । सरकार, घावों पर टांका लगाने वाले विभिन्न वर्गों के सूत्रों के बारे में आयोग द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इस उद्योग का विकास करने हेतु उचित कार्यवाई करने के लिए उनकी आपत्ति पर ध्यान दे रही है ।

क्र०सं०	वर्ग	प्रति दर्जन एफ० ओ० आर० निर्दिष्ट मूल्य
		रु०/ दर्जन
1.	सीधी तथा टेढी सुइयां	
	"ए" मैक	
	क) एम 400 एम 404, एम० 405, एम० 407, एम० 408, एम 409, एम० 410, एम० 412, एम० 413 बी० 102	34.41
	(ख) एम० 416, एम० 417, जी० 113, जी० 114 .	34.41
2.	टेढ़ी सुइयां—बी०पैक	
	(क) एम० 420, एम० 421, एम० 423, एम० 424, एम० 425, एम० 426	36.26
	(ख) एम० 441, एम० 442, जी० 123, जी० 124 .	36.26

क्र० सं०	वर्ग	प्रति दर्जन एफ० ओ० आर० निर्दिष्ट मूल्य
3.	अर्ध वर्तकार सुइयां–"सी" पैक	
	एम० 445, एम० 446, एम० 449, एम० 450, 863, 864 .	37.84
4.	अर्धवर्तकार सुइयां–"ए०" पैक	
	एम० 437	50.60
5.	अर्धवर्तकार सुइयां–'बी' पैक	
	एम० 438	41.46
6.	टेढ़ी तथा अर्धवृर्तकार सुइयां–'ए' पैक	
	(क) एम० 470	56.01
	(ख) एम० 471	56.01
7.	टेढ़ी सुइयां–'ए' पैक	
	(क) एम० 510	55.40
	(ख) एम० 520	55.40

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

डी० आर० सुन्दरम,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969